न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः— 139/2019/75 (2019/00139)

1. नेमीचंद पुत्र स्व0 आसूलाल,
2. बाबूलाल पुत्र आसूलाल,
   समस्त जाति माली, निवासी ग्राम चावण्डिया, तह0 पुष्कर, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. कमलादेवी पत्नि भंवरलाल,
2. राजेश कुमार पुत्र भंवरलाल,
3. प्रेमचंद पुत्र भंवरलाल
4. बेणीकृष्णा पुत्र भंवरलाल पत्नि अमरचंद (मृतक) जरिये वारिसानः—
   4/1— प्रेमप्रकाश पुत्र अमरचंद,
   4/2— अन्नु पुत्री अमरचंद,
   4/3— मनीषा पुत्री अमरचंद,
   4/4— कोमल पुत्री अमरचंद,
   4/5— जयन्ती पुत्री अमरचंद,
5. अंजूदेवी पुत्र भंवरलाल,
   समस्त जाति माली, निवासी कोठी चावण्डिया, तह0 पुष्कर, जिला अजमेर ।
6. उपखण्ड अधिकारी, अजमेर कैम्प प्रभारी, गनाहेड़ा ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर कैम्प प्रभारी गनाहेड़ा दिनांक 5.6.1992 .

उपस्थितः—

1. श्री रामसुख चौधरी, वकील अपीलांटस ।
2. श्री हनुमान प्रसाद, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 3 व 5.
3. रेस्पो0 संख्या 4/1 से 4/5 अनुपस्थित ।
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 6 व 7.

निर्णय

दिनांकः— 12.10.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर कैम्प गनाहेड़ा के आवंटन/नियमन आदेश कमांक/3 ख.अ./एस.पी.एल.—1/119 दिनांक 5.6. 1992 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है ।
2. ग्राम चावण्डिया स्थित चौसाला खसरा नंबर 513 रकबा 19 बिस्वा वर्किंग खसरा नंबर 522 रकबा 19 बिस्वा आधार खसरा नंबर 359/1305 रकबा 0.01 है0, खसरा नंबर 358/1307 रकबा 0.01 है0, खसरा नंबर 358/1327 रकबा 0.04 है0, खसरा नंबर 358/1545 रकबा 0.05 है0, खसरा नंबर 353/1546 रकबा 0.04 है0 कुल किता आधार के 5 कुल रकबा 0.015 है0 आराजी पर पूर्व में अपीलांट के स्व0 पिता आसुलाल वल्द लालाराम, जाति माली काबिज काश्त चले आ रहे थे तथा इनके स्वर्गवास के बाद अपीलांट विवादित आरायिजात पर आज दिनांक लगातार विवादित भूमि व अन्य आराजियात खसरा नंबर 510 रकबा 4.01 है0, वर्किंग खसरा नंबर 517 रकबा 40.1 है0,

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

आधार खसरा नंबर 351 रकबा 0.05 है0, खसरा नंबर 356 रकबा 0.05 है0, 357 रकबा 0.56 है0, चौसाला खसरा नंबर 507 रकबा 1–17–10 वर्किंग खसरा नंबर 514 रकबा 1–17–10 बीघा, आधार खसरा नंबर 359 रकबा 0.61 तथा इसी प्रकार चौसाला खसरा नंबर 519 रकबा 1–17–10 वर्किंग खसरा नंबर 532 रकबा 1–17–10 के आधार खसरा नंबर 359 रकबा 0.61 है0 आराजी होकर रेस्पो0 के पूर्वज स्व0 भंवरलाल पुत्र राऊ जाति माली ने राजस्व एजेन्सी से सांठ–गांठ कर बिना किसी कब्जे काश्त तथा राजस्व रिकार्ड क्रमश खसरा गिरदावरी, खसरा परिवर्तित निर्धारण, भू–संशोधन जमाबंदी इत्यादि किसी भी प्रकार का रिकार्ड प्रस्तुत किये बिना गलत मिथ्या एवं कपट पूर्वक कथन कर विवादित आराजियात आवंटन/नियमन कैम्प प्रभारी उपखण्ड अधिकारी, अजमेर से अपने नाम छोटी पट्टी के रूप में अपीलाधीन आदेश दिनांक 5.6.1992 को नियमन करवा ली एवं आदेश की अनुपालना में स्व0 भंवरलाल वल्द राऊ तथा इनके स्वर्गवास के पश्चात् रेस्पो0 के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन गैर कानूनी रूप से चले आ रहे है जबकि उक्त नियमनशुदा आराजी पर नियमन आदेश के पूर्व से आज दिनांक अपीलांट व अपीलांट के स्व0 पिताजी काबिज काश्त चले आ रहे है । अधी0न्याया0 के आवंटन/नियम आदेश दिनांक 5.6.1992 से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश न्याया. नियम एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । विवादित आराजियात को छोटी पट्टी के रूप में रेस्पो0 के पूर्वज के नाम नियमन करने में विधि में वर्णित प्रकिया की अक्षरश अनुपालना किये बिना आदेश पारित यिका है जो निरस्त किये जाने योग्य है । रेस्पो0 के पिता ने राजस्व एजेन्सी के समक्ष गलत मिथ्या कथन कर अपीलाधीन आदेश पारित कराया है क्योंकि राजस्व एजेन्सी तथा आवंटन/नियमन अधिकारी का यह विधिक दायित्व था कि छोटी पट्टी आवंटन/नियमन हेतु पात्र लाभार्थी की कौन–कौन सी खातेदारी के खसरा छोटी पट्टी भूमि के पास स्थित है इसकी जांच किया जाना आवश्यक था । नियमनशुदा आराजी के चौसाला खसरा नंबर 513 वर्किंग खसरा नंबर 522 रकबा 19 बिस्वा के आधार खसरा नंबर 359/1305 रकबा 0.01 है0, 358/1307 रकबा 0.01 है0, 358/1327 रकबा 0.04 है0 358/1545 रकबा 0.05 है0, 353/1546 रकबा 0.04 है0 कुल किता आधार खसरा नंबर 5 कुल रकबा 0.15 है0 भूमि के लगते हुए अपीलांट की खातेदारी काश्तकारी की भूमि खसरा नंबर 517 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा, वर्किंग खसरा नंबर 517 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा, आधार खसरा नंबर 351 रकबा 0.05, 356 रकबा 0.05 है0357 रकबा 0.56 है0, चौसाला खसरा नंबर 507 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा 10 बिस्वांसी, वर्किंग खसरा नंबर 514 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा 10 बिस्वांसी, आधार खसरा नंबर 359 रकबा 0.61 है0, चौसाला खसरा नंबर 519 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा 10 बिस्वांसी, वर्किंग खसरा नंबर 532 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा 10 बिस्वांसी, वर्किंग खसरा नंबर 514 व खसरा नंबर 532 के नये आधार खसरा नंबर 359 बनाते हुए रकबा संयुक्त रूप से रकबा 0.61 है0 बनाये गये है । उक्त आराजियात नियमनशुदा भूमि के लगते हुए होते हुए भी राजस्व विभाग द्वारा नियमन आदेश करने से पूर्व लगवा काश्तकार को विधिवत् रूप से उद्घोषणा जारी करने के पश्चात् भूमि का आवंटन व नियमन करना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 के द्वारा विधिक स्थिति को नजरअंदाज कर रेस्पो0 को अवांछित लाभ पहुंचाने की गरज से अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो काबिल निरस्तनीय है । अपीलांट एवं अपीलांट के पिता आवंटनशुदा भूमि पर आज दिनांक तक लगातार काबिज काश्त चले आ रहे है जो विवादित आराजियात की खसरा परिवर्तनशील जमानिर्धारण संवत् 2042 सन् 1985 से सिद्ध है । मौके पर अपीलांट द्वारा कुआं खोद कर कुएं के पास 10 बाई 10 का कमरा बनाकर कृषि यंत्र रखने के उपयोग व उपभोग में लिया

जा रहा है तथा शेष भूमि पर कृषि पैदावार ले रहा है । रेस्पो0 के पूर्वज विवादित आराजियात को छोटी पट्टी के रूप में आवंटन/नियमन के हकदार नहीं होने के बावजूद तथ्य छिपाकर आवंटन/नियमन करवाया है । अतः अपील अपीलंटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश दिनांक 5.6.1992 कम संख्या 10 की हद तक निरस्त किया जावे तथा वादग्रस्त आराजियात की विधिवत् उद्घोषणा जारी कर विवादित आराजियात के लगवा काश्तकारों को तलब कर विधि अनुसार आवंटन/नियमन करने के आदेश प्रदान करावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, अजमेर कैम्प प्रभारी गनाहेड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 5.6.1992 को पारित करने से पूर्व प्रार्थी तथा प्रार्थी के पिता को कोई विधिवत् नोटिस नहीं दिया एव ना ही विधिवत् रूप से कोई उद्घोषणा ही जारी की गई । अपीलाधीन आदेश की जानकारी प्रार्थी को उनालू की फसल लेने के पश्चात् रिक्त भूमि पर रेस्पो0 द्वारा मौके पर कब्जा सुपुर्द करने बाबत् दिनांक 25.2.2019 को ऐलानिया धमकी देने पर कि भूमि उनके नाम दर्ज होने का कथन करने पर हुई । तत्पश्चात् अपीलांटस ने अपीलाधीन आदेश की जानकारी कर दिनांक 8.3.2019 को नकल हेतु आवेदन पेश किया जिस पर दिनांक 19.3.2019 को नकल प्राप्त होने पर कानूनी सलाह लेकर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 3 एवं 5 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित आवंटन/नियमन आदेश विधिसम्मत् है । अपीलाधीन आदेश दिनांक 5.6.1992 का है जिसके विरूद्ध अपीलांटस ने भारी मियाद बाहर अपील पेश की है तथा विलंब के भी समुचित एवं ठोस कारण अंकित नहीं किये है । अतः अपील भारी मियाद बाहर पेश किये जाने खारिज की जावे। बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने संपूर्ण विधिक प्रकिया की पालना करते हुए रेस्पो0 के पिता को छोटी पट्टी के रूप में आवंटन/नियमन की है जो विधिसम्मत् आदेश है । आवंटन के पश्चात् आवंटन शर्तो की पालना में रेस्पो0 को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है जो निरस्त नहीं किये जा सकते है । विवादित आवंटित/नियमनशुदा आराजियात पर रेस्पो0 आवंटन से पूर्व एवं आवंटन के पश्चात् काबिज काश्त चले आ रहे है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे । अपने कथनों के समर्थन में विद्वान वकील रेस्पो0 ने आर0बी0जे0 1995 (2) पेज 780, आर0बी0जे0 2019 पेज 184, आर0बी0जे0 2018 पेज 436, 446 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । प्रार्थी/अपीलांटस ने आवंटन/नियमन आदेश दिनांक 5.6.1992 के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष अपील दिनांक 15.4.2019 को लगभग 27 वर्षो के भारी विलंब के उपरांत पेश की है । अपीलांट ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 में विलंब के कारण यह अंकित किये है कि उपखण्ड अधिकारी, अजमेर प्रभारी अधिकारी कैम्प द्वारा पारित आदेश दिनांक 5.6.1992 को पारित करने से पूर्व प्रार्थी तथा प्रार्थी के पिता को कोई विधिवत् नोटिस नहीं दिया गया एव ना ही विधिवत् रूप से कोई उद्घोषणा ही जारी की गई है जिससे अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं हो सकी थी । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि भंवरलाल पुत्र राउ निवासी चावण्डिया द्वारा तहसीलदार, अजमेर के समक्ष ग्राम चावण्डिया के खसरा नंबर 522 रकबा 19 बिस्वा सिवायचक भूमि स्वंय की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 5289 से लगते हुए होने के आधार पर छोटी पट्टी के रूप में नियमन हेतु आवेदन पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार ने पटवारी हल्का से जांच करवाई है जिसमें पटवारी हल्का ने आवंटित/नियमन की गई भूमि पर आवेदनकर्ता भंवरलाल का कब्जा होना तथा उसकी स्वंय की खातेदारी भूमि के समीप स्थित होना

रिपोर्ट में अंकित किया है । उक्त आवेदन पत्र प्राप्त होने पर आवंटन/नियमन कमेटी के सदस्यों की बैठक आयोजित की जाकर आदेश दिनांक 5.6.1992 आवेदनकर्ता भंवरलाल पुत्र राउ को खसरा नंबर 522 रकबा 19 बिस्वा का छोटी पट्टी के रूप में नियमन किया गया है । उक्त आवंटन/नियम आदेश में भंवरलाल के अतिरिक्त ग्राम के अन्य काश्तकारों को भी अन्य खसरा नंबरान का आवंटन/नियमन किया गया है । इसलिये अपीलांटस का यह कथन कि आवंटन कमेटी ने आवंटन/नियमन से पूर्व उद्घोषणा जारी नहीं की गई जिससे अपीलाधीन आदेश की जानकारी नही हो सकी किया गया कथन उचित प्रतीत नहीं होता है । अपीलांट ग्राम चावण्डिया का निवासी है जिसे ग्राम में आवंटन/नियमन बाबत् होने वाली कार्यवाही की जानकारी नहीं हो, किया गया कथन उचित नहीं है । रेस्पो0 के पति एवं पिता भंवरलाल को कमेटी द्वारा दिनांक 5.6.1992 को छोटी पट्टी के रूप में विवादित भूमि का आवंटन/नियमन किया गया है जिसके लगभग 27 वर्ष हो चुके है यदि अपीलांटस का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त होता है तो अपीलांटस द्वारा रेस्पो0 के पक्ष में किये गये आवंटन/नियमन आदेश को निरस्त कराने हेतु कार्यवाही अवश्यक की जाती है किन्तु अपीलांटस इतने लंबे समय उपरांत आवंटन/नियमन को चुनौती दी है तथा विलंब के भी कोई ठोस एवं समुचित कारण अपने प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किये है । अपीलांटस को इतने भारी विलंब के संबंध में दिन–प्रतिदिन के कारण बताना आवश्यक था । अपीलांटस ने लगभग 27 वर्ष उपरांत अपील पेश की है । अपील को देरी से पेश करने का कोई वैध कारण नहीं बताया है । इस कारण विलंब को माफ नहीं किया जा सकता है । इस संबंध में विद्वान वकील रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होते है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 निरस्त किया जाता है ।

8. अतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 निरस्त होने से अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बिन्दु पर खारिज की जाती है । अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 5.6.1992 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेधना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 12.10.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेधना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर